

अनवान ..... हरमिन्द सिंह ..... बनाम ..... उषा जोषि  
 प्रकरण संख्या ..... ४२ ..... / २०२५ अन्तर्गत धारा ..... १२A, 188A

दिनांक ..... आदेश या कार्यवाही मय हस्ताक्षर जज

* 09 १२/२५	अधिवक्तागण उपस्थित। साक्ष्यवादी हेतु सप्रप्त धाहा। अनित्य अवसर दिया जाता है अन्यथा साक्ष्यवादी स्वतः बंद सप्रप्ती जाएगी। पत्रावली वास्ते साक्ष्यवादी दिनांक ०५/११/२५ को पेश हो।
५/२५	वकील फरीकन उपस्थित श्रीमान् PO साहब अन्य कार्य में व्यस्त हैं। पत्रावली दिनांक १२/११/२५ को पेश हो। <u>Kamra</u>
१२/२५	वकील फरीकन उपस्थित श्रीमान् PO साहब अन्य कार्य में व्यस्त हैं। पत्रावली दिनांक ३/१२/२५ को पेश हो। <u>Kamra</u>
३/२५	अधिवक्तागण उपस्थित। साक्ष्यवादी हेतु सप्रप्त धाहा। पुनः न्यायहित में अनित्य अवसर दिया जाता है अन्यथा साक्ष्यवादी स्वतः बंद सप्रप्ती जाएगी। पत्रावली वास्ते साक्ष्यवादी दिनांक ७/११/२६ को पेश हो।
७/२६	वादी व वादी अधिवक्ता उपस्थित नहीं। वादी व वादी अधिवक्ता क्रम क्रम-२ उ बार आवाम लगवाई गई। कोई उपस्थित नहीं आया। वादी का वादपत्र अदम परवी अदम लोजरी में इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली निगीत होकर हाम्बर से कम होकर वापिस लफ्तर हो।



सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर (श्रीमान्...)